

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, शाहपुरा

भेरेषदा

बनाम गोपी राम

किस्म मुकदमा

इपील

प्रकरण सं. 56

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

न
अह
हुक
में

30/1/26

पत्रावली पेश / इमथपस अनुपस्थित (बादतलवी)
न्यायालय द्वारा बार-बार कावाजे लगावानी अभी
फिर भी न हो पक्षकारान् और न ही उनके
वैधिक प्रतिनिधि उपस्थित हुये। अतः पत्रावली
अन्तर्गत आदेश 9 नियम 3 एच.पी.सी. खारेज
की जाती है।

पत्रावली के तल इमथर हो नम्बर से कम
की जाकर दायिम दफतर ही।

निर्णय लिखा जाकर पहले न्यायालय में युनाया
गया। पुष्प

अति. जिला कलक्टर,
शाहपुरा